भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.12.2023 के
तारांकित प्रश्न सं. 60 का उत्तर

रेल डिब्बों में खराब प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधा

*60. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ियों में यात्रियों, विशेषकर उत्तर चेन्नई रेलवे में स्वच्छता सुविधाओं की कमी और रेल डिब्बों में खराब प्रकाश व्यवस्था के कारण महिलाओं और बच्चों के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक कितने रेलवे स्टेशनों के पास स्वच्छता सुविधाएँ और उन्नत प्रकाश व्यवस्था सुविधाएँ उपलब्ध हैं;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खराब अवसंरचना के कारण महानगरों के वंचित क्षेत्रों में स्थित उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर बच्चों और महिला यात्रियों के प्रति अपराध और खतरे के प्रमाण मिले हैं; और
(घ) यदि हां, तो उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के आस-पास अपराध को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन उपायों की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

रेलडिब्बों में खराब प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधा के संबंध में दिनांक 06.12.2023 को लोक सभा में डॉ. कलानिधि वीरास्वामी के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) और (ख): भारतीय रेल ने उपनगरीय रेलवे स्टेशनों सहित रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता/साफ-सफाई में प्रौद्योगिकी की सहक्रियता, उपयोगकर्ताओं की शिक्षा और यांत्रिकीकृत उपकरणों की व्यवस्था द्वारा बहुमुखी कार्रवाई की है जैसे यांत्रिकीकृत सफाई/विभागीय कर्मचारियों आदि द्वारा रेलवे स्टेशनों की सफाई, प्लेटफार्मों पर धुलनीय एप्रन, जेट सफाई व्यवस्था के साथ रेल पटरी, कचरा उठाने/निपटान की व्यवस्था, रेलवे स्टेशनों पर कूड़ेदानों की व्यवस्था, पटरियों पर रात्रि मल गिरना रोकने के लिए सभी यात्री सवारी डिब्बों में पर्यावरण-अनुकूल बायो-टायलेट लगाना इत्यादि।

दक्षिण रेलवे की मेमू जैसी लंबी दूरी की उपनगरीय रेलगाड़ियों में 8-कार रेक में एक कोच में न्यूनतम दो शौचालय हैं। उपनगरीय रेकों को प्रतिदिन रात को उनके खड़े होने के स्थानों पर साफ किया जाता है और समय-समय पर बाहर से धुलाई की जाती है और अंदर पोछा लगाया जाता है। उपनगरीय कोचों में एलईडी बत्तियां लगाई गई हैं और इन्हें कोचों की पूरी लंबाई में यथालागू मानकों के अनुसार पर्याप्त रोशनी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, ड्राइवर के कंसोल में रोशनी भी कंसोल में मापे गए निर्दिष्ट मान से अधिक है। कैब में छत पर बत्तियां लगाई गई हैं जिन्हें फर्श स्तर पर पर्याप्त रोशनी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्तर चेन्नई के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि मानदंडों के अनुरूप हैं। 2019-20 के दौरान, रेलवे स्टेशनों पर प्रकाश सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर चेन्नई रेलखंड में ₹1.4 करोड़ मूल्य का निर्माण-कार्य निष्पादित किया गया है (जंग लगे हुए खंभों को बदलना, बॉक्स टाइप फिटिंग, स्ट्रीट लाइट फिटिंग, शीट मोल्डिंग कंपाउंड (एसएमसी बॉक्स)।

(ग) और (घ): 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार के विषय हैं और इसलिए, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/ज़िला पुलिस के माध्यम से रेलों पर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज और जांच-पड़ताल करने और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और

सुरक्षा सुलभ कराने और तत्संबंधी मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों की पूर्ति करता है।

उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा की चिंता का समुचित ध्यान रखा जाता है और इसका निवारण करने के लिए रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा के लिए राजकीय रेल पुलिस/ स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

i. भेद्य और अभिनिर्धारित मार्गों/रेलखंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन मार्गरक्षण की जा रही रेलगाड़ियों के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

ii. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत है] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

iii. रेलवे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का संवर्धन किया जा सके और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके।

iv. यात्रियों को चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए शिक्षित करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा बार-बार उद्घोषणाएं की जाती हैं।

v. यात्रियों की सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए उपनगरीय रेल प्रणाली सहित भारतीय रेल के अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

vi. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले अपराधियों के विरुद्ध बार-बार अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।

vii. रेलवे स्टेशनों पर संकट में पाए गए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल कर्मियों का संवेदीकरण किया गया है ताकि वे मानक कार्य पद्धति के अनुसार सॉफ्ट स्किल्स और प्रोटोकॉल का उपयोग करें।

viii. क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव सीमा तक रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में पुरुष और महिला रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों की उपयुक्त संयुक्त संख्या तैनात करने के अनुदेश दिए गए हैं।

ix. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियों में/रेलवे स्टेशनों पर अपराध रोकथाम और जांच दस्ते की टीमों, नशा विरोधी दस्तों जैसे विशेष दस्तों को भी तैनात किया जाता है।

x. उपनगरीय रेलवे स्टेशनों में अपराध के चिह्नित/भेद्य स्थानों पर चारदीवारी का निर्माण/बाड़ लगाना।

xi. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

*****